| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer |
|---|---|
| 12/11/2022 | मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कोई उपस्थित नहीं। पूर्व में निरंतर रूप से जिला दंडाधिकारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी रायसेन को पृथक पत्र लेख कर अवगत कराया गया था कि इस न्यायालय किसी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक किसी भी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की नियमित पदस्थापना इस न्यायालय में नहीं की गई है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी का ध्यान इस ओर भी आकुष्ट कराया गया था कि किसी भी अधिकारी की पदस्थापना नहीं होने की दशा में पडने वाले विपरीत प्रभाव का उत्तरदायित्व उनका ही होगा।<br>अभियुक्त सहित श्री उमराव सिंह अधिवक्ता उपस्थित।<br>इसी स्तर पर अभियोगी/आहत नीलेश ने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 (1), 320 (2) द.प्र.सं. का प्रस्तुत कर उनका मामला लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जाने का निवेदन किया एवं अभियुक्त से राजीनामा स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर दवाब के हो जाने के आधार पर उसे स्वीकृत कर मामला समाप्त किए जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष की पहचान अभिभाषक श्री ~~बोलेन्द्र गिरी~~ उमराव सिंह द्वारा की गई।<br>प्रकरण का परिशीलन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 294, 323 विकल्प में धारा 323 सहपठित धारा 34 एवं 506 भाग–दो के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है।<br>दंड प्रकिया संहिता मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम–2019, जो कि 07–जुलाई–2022 को प्रकाशित किया गया है, के माध्यम से भा. दं.वि. की धारा 294 को अनुमति उपरांत शमनीय बनाया गया है। सामान्यतः प्रकियात्मक संशोधन जिससे अभियुक्त को लाभ प्राप्त होता हो, वह भूतलक्षीय प्रभाव रखता है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **नानीगोपाल मित्रा विरुद्ध बिहार राज्य ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1636** एवं **रमेश कुमार सोनी विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (2014) 4 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 340** अवलोकनीय है।<br>भा.दं.वि. की धारा 294 का अपराध अनुमति से उस व्यक्ति, जिसे क्षोभ कारित हुआ हो अथवा जिसके विरुद्ध अश्लील शब्द उच्चारित किये गये है, के माध्यम से शमनीय है। अतएव भा.दं.वि. की धारा 294 के संबंध में भी शमन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। धारा 323 का आरोप फरियादी/आहत की सहमति से तथा धारा 506 भाग–दो भा0दं0सं0 का आरोप न्यायालय के अनुमति से |

GCPB—459—DCGCPB—29-8-22—37,00,000.

# Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|

अभियोगी/आहत द्वारा शमनीय है। अभियोगी/आहत के द्वारा स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी भय, दबाव के राजीनामा किये जाना व्यक्त किया था। प्रस्तुत आवेदन पत्र में भी बिना किसी डर दवाब व स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा किए जाने के बिन्दु अग्रेषित किए गए हैं। अभियोगी/आहत पीडित व्यक्ति हैं और राजीनामा किए जाने के लिए सक्षम हैं। न्यायालय के समक्ष भी यह बताया है कि उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी भय, दवाब के राजीनामा किया जा चुका है। अतएव उभयपक्ष के बीच शांति सद्भावना बनाए रखने के आशय से अभियोगी/आहत को राजीनामा करने की अनुमति दी जाती है।

उभयपक्ष की ओर से एक अन्य आवेदन पत्र राजीनामा स्वीकर कर प्रकरण समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। समग्र स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित व लोक अदालत के उद्देश्य को विचार में रखते हुए अभियोगी/आहत को अभियुक्त से 294, 323 विकल्प में धारा 323 सहपठित धारा 34 एवं 506 भाग–2 भा0दं0सं0 में राजीनामा स्वीकृत कर राजीनामा तस्दीक उपरांत स्वीकार किया जाता है। दं.प्र.सं. की धारा 320 (8) के प्रभाव अनुरूप अभियुक्तगण **1. विश्राम, 2. गोपाल उर्फ गुपली** को दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में अभियुक्तगण अनवेषण, जॉच या विचारण के दौरान जितनी अवधि तक अभिरक्षा में रहे हों तो उनका दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 428 के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी का डंडा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निष्पादन लिपिक को निर्देशित किया जाता है, कि प्रकरण का परिणाम पंजी में विधिवत् दर्ज एवं सी.आई.एस. में अपलोड कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावें।

सदस्य
रामकुमार नायक
अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी 2/11/22.
(वरूण चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उदयपुरा, जिला–रायसेन (म0प्र0)